फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री भागीरथ **विपक्षी : श्री शंकरलाल**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 06/19**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प ढुंढिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में आराजी नम्बर 401 वादी के नाम हिस्सेनुसार सामलाती दर्ज होकर वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 5 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 401 किता 1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 14:12:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री भागीरथ पिता मांगीलाल जाट निवासी ढुंढिया तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता वरदा कुम्हार निवासी ढुंढिया तह. मावली।
2. श्री पुष्कर पिता शंकरलाल कुम्हार निवासी ढुंढिया तह. मावली।
3. श्रीमती सोहनीबाई पत्नी शंकरलाल कुम्हार निवासी ढुंढिया तह. मावली।
4. श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी पुष्करलाल कुम्हार निवासी ढुंढिया तह. मावली।
5. श्री माधुलाल पिता मोहनलाल भील निवासी ढुंढिया तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 06/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00009

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 401 किता 1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 14:12:08 IST
Reason: SelfAttested